

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.- (07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. /
प्रति,

654

बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)
वन भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155629/2022)
आवेदक विभाग - महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1, 2, बालाघाट (म.प्र.)
संदर्भ :- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1, 2, बालाघाट (म.प्र.) का पत्र पृ.क्रमांक / 204 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2024 दिनांक 25.01.2024

--00--

निवेदन है, कि संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में आयोजित FRCM की बैठक दिनांक 12.01.2024 के कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशानुसार आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में डायर्वर्जन हेतु चिन्हित वन एवं गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल में आवश्यक संशोधन कर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

निर्देशानुसार प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एकजाई प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. एवं आर.डी.एफ. वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु एकजाई प्रस्तावित के.एम.एल. फाईल में प्रस्ताववार सी.ए. के लिए आवंटित सीमा को रेखांकित किया जाकर के.एम.एल. फाईल पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। विषयांकित प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनकक्ष क्रमांक 340, 341A, 341B, में कान्हा-इंद्रावर्ती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है।

अतएव प्रतिवेदन आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

पृष्ठा. क्रमांक / मा.चि. / 655

प्रतिलिपि :-

- (1) वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (2) वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में सूचनार्थ अग्रेषित।
- (3) आवेदक विभाग - महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1 एवं 2, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित आपके पत्र पृ.क्रमांक / 204 / तक / म.प्र.ग्रासप्रा / 2024 दिनांक 25.01.2024, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

कानूनी वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष नं.- (07632-248414)

email - dfotsbghat@mp.gov.in

बालाघाट / ५७०

बालाघाट, दिनांक | ९ / ०१ / २०२४

जनर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन्यप्राणी)
भोपाल (म.प्र.)

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक नार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155629/2022)

आपका पत्र क्रमांक / व.प्रा. / व.त.अ.-1 / GEN-553/453, 454 दिनांक 15/01/2024,

—00—

निवेदन है, कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी के संबंध में लेख है, कि किसी भी सड़क मार्ग के वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावित प्रकरण में दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमंडल के वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी (सा.) अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A, 341B, में लम्बाई 18500 मीटर, सब्जन 16.650 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में NTCA के वेबसाईट से कॉरिडोर के KML का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि विषयांकित प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनक्षेत्र क्रमांक 340, 341A, 341B, में कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है। उपर्युक्त मार्ग की KML File एवं कॉरिडोर की KML अवलोकनार्थ संलग्न सम्प्रेषित है।

विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में उपर्युक्त प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्करात को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स के प्रावधान अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क मार्ग क्षेत्र में बन्दर पासेस एवं चैनलिंग फैसिंग की आवश्यकता नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित सड़क मार्ग क्षेत्र में प्रत्येक 1 km. बन्दराल पर संकेतक बोर्ड एवं प्रत्येक 1 km. अन्तराल पर गतिअवरोधक, आवेदक विभाग / संस्थान- महाप्रबंधक, न.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बालाघाट, द्वारा परियोजना व्यय पर चन्दे द्वारा ही बनाया जाना प्रस्तावित है। कृपया प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- KML File एवं कॉरिडोर की KML


(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक | ९ / ०१ / २०२४

पृष्ठा क्रमांक / मा.चि. / ५७१


प्रतिलिपि :-

- वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित अंपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक / व.प्रा. / व.त.अ.-1 / GEN-553/453, 454 दिनांक 15/01/2024, जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- उपवनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

OK



कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.- (07632-248414)

email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 656

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
भोपाल (म.प्र.)

विषय:-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1256 / 2023 / 10-11 / 01, 02 दिनांक 01.01.2024

—00—

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी आवेदक विभाग-महाप्रबंधक, म.प्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट द्वारा उनके पत्र क्रमांक / 204 / तक /मप्रग्रासविप्रा/2024 दिनांक 25.01.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) अतएव प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं पर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The population at both the end of the proposed road is already been connected by the existing road of “lanji-kheragad road” so the purpose of this road is not clear. Further it is seen in the KML that there is no population being benefited along the proposed alignment so the unnecessary break up of the forest land and felling of 244 trees can be avoided. The comment of the concerned DFO shall be submitted in the regard with detailed justification for road because the justification provided is not satisfactory.	प्रस्तावित मार्ग बोदादलखा से धीरी मुरुम मार्ग का निर्माण नक्सल उन्मुलन की दृष्टि से उपयोगी है। मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोपज सामाग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्ग के निर्माण से जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली उन्मुलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीन विकास की दृष्टि से उपयुक्त है। तथा उक्त मार्ग के संबंध में आवेदक विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान हर संभव प्रयास कर कम से कम पेड़ों को क्षति पहुँचाई जायेगी।
2	The DFO may also submit the status of road as per the approved working plan.	वनमंडल में प्रचलित अनुमोदित कार्य आयोजना में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्व ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
3	The total area of various proposals in this region is more than 40.00 ha. in consolidation in the same division and by the same agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट के पत्र क्रमांक/तक. कक्ष/29 दिनांक 08.01.2024 में उक्त संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
4	The comment of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनकक्ष क्रमांक 340, 341A, 341B, में कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक /मा.चि./ 570 दिनांक 19.01.2024 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल म.प्र. की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

5	<p>The area proposed for CA also includes area provided for other proposals that can create confusion in near future when monitoring of the area will be planned. Therefore it is suggested to have separate proposal wise CA scheme and KML file with proper demarcation in such case shall be submitted/uploaded.</p>	<p>आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/राप्रक./0033/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम-धुमुर, प.ह.न. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट को खस्ता नं. 25/1क/1 के कुल रकबा 96.837 हेठो में से 82.00 हेठो (04 प्रस्तावों के लिए समेकित)</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 16.650 हेठो (2) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हेठो (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हेठो (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हेठो) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारों प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारों प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक-पृथक प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
6	<p>Status of clearance of Wildlife needs to be submitted.</p>	<p>उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./570 दिनांक 19.01.2024 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल म.प्र. की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा वन्यप्राणी अभिमत की कार्यवाही की जावेगी।</p>


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


पु. क्रमांक/मा०चि०/ 657


प्रतिलिपि:-


- वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
- आवेदक विभाग— महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित संबंध में आपके पत्र क्रमांक/204/तक/मप्रग्रासप्रा/2023 दिनांक 25.01.2024 द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


 (मीना कुमारी मिश्रा)
 भा.व.से.
 वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट

 बालाघाट दिनांक 25/01/2024


 (मीना कुमारी मिश्रा)

भा.व.से.
 वनमंडलाधिकारी
 दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट


पत्र क्र. २०५ /तक/मप्रग्रासप्रा/2024
प्रति,

बालाघाट दिनांक २५/०१/2024

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155629/2022)

- संदर्भ :-
- आपका पत्र पृ. क्र. 133 दिनांक 04.01.2024
 - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्र. एफ-5/1256/2023/10-11/01 भोपाल दिनांक 01.01.2024
 - भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र./6-MPR018/2023-बीएचओ दिनांक 27.12.2023

.....00.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निदेशों के तहत 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	The population at both the end of the proposed road is already been connected by the existing road of “lanji-kheragad road” so the purpose of this road is not clear. Further, it is seen in the KML that there is no population being benefited along the proposed alignment. So the un-necessary break up of the forest land and felling of 244 trees can be avoided. The comment of the concerned DFO shall be submitted in this regard with detailed justification for road because the justification provided is not satisfactory.	बोदलखा से धीरी मुरुम मार्ग का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया था। यह निर्माण के लिए सुविधा एवं जोखिम से मुक्त होगी। यह मार्ग रेटर करनेविटिटी से भी संबंधित है जो कि छत्तीसगढ़ सीमा तक जा रहा है जिससे छत्तीगढ़ तक सम्पर्कता स्थापित होगी। नक्सली गतिविधियों में राज्यों के आपसी समन्वय स्थापित कर अंकुश लगाया जायेगा। मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही बनोपज सामग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। सड़क निर्माण में आवेदक विभाग हर संभव यह प्रयास करेगा कि निर्माण कार्य के दौरान कम से कम पेड़ों में धृति पहुँचाया जाय।
2.	The DFO may also submit the status of road as per the approved working plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में भी दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
3.	The total area of various proposals in this region is more than 40-00 ha in consolidation in the same division and by the same agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त बालाघाट के पत्र क्रमांक 29/तक बालाघाट दिनांक 08.01.2024 में उक्त संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
4.	The comment of CWLW shall be submitted.	-


5.	<p>The area proposed for CA also includes area provided for other proposals that can create confusion in near future when monitoring of the area will be planned. Therefore it is suggested to have separate proposal wise CA scheme and KML file with proper demarcation in such cases shall be submitted/uploaded.</p>	<p>कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक /रा.प्र.क्र. /0033/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम-धुम्मर, प.हन. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट व खसरा नं. 25/1क/1 के कुल रकबा 96.837 हेतु में से 82.00 हेतु (04 प्रस्तावों के लिए समेकित</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हेतु (2) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 16.650 हेतु (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हेतु (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हेतु) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारों प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्थीरता वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारों प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक-पृथक प्रस्ताव अनुसार के एम.एल. फाईल संलग्न है।
6.	Status of clearance of Wildlife needs to be submitted.	


पृ. क्र. २०५ / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2024

प्रतिलिपि:-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में चाही गई वांछित बिन्दुओं की जानकारी पत्रक एवं परिशिष्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
- मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सङ्कर विकास प्राधिकरण
उत्तरीयोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक २५/०१/२०२४


महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सङ्कर विकास प्राधिकरण
उत्तरीयोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632-241201 फैक्स : 07632-240268

क्रमांक / तक. कक्ष / २९

बालाघाट, दिनांक : ०३/०१/२०२४

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(कक्ष भू-प्रबंध)

म.प्र., भोपाल

विषय :-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPL WE) के तहत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/155629/2022)

संदर्भ :-

आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक / एफ-५ / १२५६ / २०२३ / १०-११ / ०२ दिनांक ०१.०१.२०२४.

-०-

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र क्र. ६-एमपीआर ०१८/२०२३-बीएचओ दिनांक २७.१२.२०२३ में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक-०३ की जानकारी निम्नानुसार संप्रेषित है :-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
३	The total area of various proposals in this region is more than 40.00 ha in consolidation in the same division and by the same Agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	विषयांकित प्रकरण में कुल 16.65 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है, संशोधित वन (संरक्षण) नियम, 2022 के नियम ९ के उपनियम ४(छ) पृष्ठ क्र. ०७ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार जिन प्रकरणों में 40.00 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि सम्मिलित है, उनका क्षेत्रीय निरीक्षण संबंधित वनसंरक्षक द्वारा किया जाना है। चूंकि उक्त प्रकरण में 16.65 हेक्टेयर वनभूमि अर्थात् 40 हेक्टेयर से कम वनभूमि प्रभावित होने के कारण CF/CCF के स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(प्र.पी.एस. सेंगर)

मा.व.से.

वन संरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

बालाघाट, दिनांक : ०३/०१/२०२४

पृष्ठां. क्रमांक / तक.कक्ष / ३०

प्रतिलिपि :-

- वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- आवेदक विभाग / संस्थान:- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-१ बालाघाट म.प्र. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.